(c) the estimated number of agricultural labourers all over the country and their average income?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SING GHATOWAR): (a) The number of job-seekers, all of whom are not necessarily unemployed, who were on the live register of employment exchanges in the country as at the end of August, 1991, was 358.3 lakhs. The Employment Exchanges do not maintain statistics of job-less due to closures, lock-outs, etc.

(b) There is no mechanism within the Employment Exchanges to compute the cases of those unemployed who are not able to register their names with them.

(c) As per Report of National Commission on Rural Labour, the estimated number of agricultural Labour in the Country is 110 million. All India average Wage/Salary earnings per day in 1987-88 by agricultural labour (between age group 15—59 years) is reported to be Rs. 14.58.

ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को देय मजदूरी

773. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने अपने प्रतिवेदन में इस आशय की सिफारिश की है कि ग्रामीण श्रमिकों को 20 रुपये प्रतिदिन की दर से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है ; और

(घ) देश में कहां-कहां ग्रामीण कर्मकारों को 20 रुपये प्रतिदिन से कम मजदूरी जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि सारे देश में कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी 20/- रु० प्रतिदिन से कम नहीं होनी चाहिये । इस पर विचार किया गया है और उप श्रम मंत्री की ओर से सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों को यह सूचित करते हुए एक पत्र लिखा गया है कि उपरोक्त सिफारिश पर श्रम मंत्रियों के अगले सम्मेलन में विचार-विमर्श किया जाएगा ।

(घ) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, दादरा और नगर हवेली दमन और दिव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी 20/- रु० से कम है और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के लिये कोई प्रावधान नहीं है ।

इसके अतिरिक्त अरूणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में क्षेत्रों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी क्रमशः 18/- रु० से 21/- रु० और 12/- रु० से 20/- रु० के बीच निर्धारित की गई है ।

श्रमिकों के उत्प्रवास की समस्या

774. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि व्यक्तियों के पास वैध रोजगार वीजा होने के बावजूद भी बहुत से व्यक्तियों को उत्प्रवास की स्वीकृति प्रदान करने से मना कर दिया जाता है और इसकी वजह से उन्हें मुम्बई, दिल्ली तथा तिरूवनंतपुरम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर रुकना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार उत्प्रवास नियमों को सरल बनाने का विचार रखती है ताकि ऐसे व्यक्तियों को उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त करने में सहायता मिल सके ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1991 से सरकार को किसी ऐसे मामले की सूचना नहीं मिली है जो उत्प्रवास अधिनियम 1983 तथा उसके अध्यधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत निर्धारित दस्तावेज रखने वाले व्यक्तियों को उत्प्रवास की स्वीकृति प्रदान करने से मना करने से संबंधित हो। तथापि पहले ऐसी रिपोर्टें मिली थीं कि ऐसे बहुत से व्यक्तियों को जिनके पास वैध वीजा थे उत्प्रवास स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी क्योंकि उनके पास उत्प्रवास अधिनियम और उसके अध्यधीन बनाए गये नियमों के अन्तर्गत निर्धारित दस्तावेज नहीं थे।

(ग) श्रमिकों के निम्नलिखित 6 और वर्गों को 4 अक्तूबर, 1991 से छः माह की अवधि के लिए उत्प्रवास जांच की जरूरत नहीं के अंतर्गत ला कर उत्प्रवास प्रक्रिया को और सरल बना दिया गया है :—

(i) पर्यवेक्षक (सभी व्यवसाय) ;

(ii) कुशल कर्मकार (सभी व्यवसाय) ;

(iii) अर्द्ध-कुशल कर्मकार (सभी व्यवसाय) ;

(iv) हल्के/मध्यम/भारी वाहन चालक;

(v) सभी वर्गों के लिपिकीय कर्मकार जिनमें अकाउंटेंट, स्टोरकीपर, टाइमकीपर, टंकक आदि शामिल हैं ;

(vi) घरेलु नियोजन में कार्य कर रहे रसोईयों को छोड़कर रसोईये।

The meeting of tripartite standing committee on labour

775. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what were the issues discussed in the meeting of Tripartite Standing Committee on Labour held on the 17th November, 1991;

(b) the names and designations of the persons who participated in the meeting;

(c) what was the decision taken in the meeting;

(d) whether problems of Beedi labourers were also taken up; and

(e) if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SING GHATOWAR): (a) A meeting of only the labour side of a Special Tripartite Committee to consider the impact of the new industrial policy on the problems affecting labour and other related matters was held on November 17, 1991.

(b) The names and designations of the persons who participated in the meeting are given in the attached statement. (*See* below)

(c) It was decided to have a full meeting of the Committee in December when position regarding chronically sick public sector units will be considered.

(d) and (e) There was no discussion in the meeting of the problems of beedi workers.